संख्या–817/एक–10–2021–33(79)/2015 टीसी

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांक 02 जून ~~अगस्त~~, 2021

विषयः–वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के व्ययों को वहन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरणों के व्ययों को वहन करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष **"2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–07–जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत रू0 75,00,000/–(रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारी के** निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

कमांक	जनपद	धनराशि (रू0 लाख में)
1	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण आगरा	1.00
2	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण अलीगढ़	1.00
3	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण प्रयागराज	1.00
4	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण अम्बेडकरनगर	1.00
5	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण औरैया	1.00
6	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण आजमगढ़	1.00
7	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बदायूँ	1.00
8	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बागपत	1.00
9	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बहराइच	1.00
10	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बलिया	1.00
11	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बलरामपुर	1.00
12	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बांदा	1.00
13	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बाराबंकी	1.00
14	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बरेली	1.00

15	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बस्ती	1.00
16	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बिजनौर	1.00
17	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बुलन्दशहर	1.00
18	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण चंदौली	1.00
19	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण चित्रकूट	1.00
20	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण देवरिया	1.00
21	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एटा	1.00
22	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण इटावा	1.00
23	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण फैजाबाद	1.00
24	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण फर्रूखाबाद	1.00
25	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण फतेहपुर	1.00
26	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण फिरोजाबाद	1.00
27	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गौतमबुद्वनगर	1.00
28	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गाजियाबाद	1.00
29	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गाजीपुर	1.00
30	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गोण्डा	1.00
31	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गोरखपुर	1.00
32	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण हमीरपुर	1.00
33	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण हरदोई	1.00
34	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण हाथरस	1.00
35	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण जालौन	1.00
36	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण जौनपुर	1.00
37	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण झांसी	1.00
38	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण अमरोहा	1.00
39	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कन्नौज	1.00
40	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कानपुर नगर	1.00
41	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कासगंज	1.00
42	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कौशाम्बी	1.00
43	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कुशीनगर	1.00
44	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण लखीमपुर खीरी	1.00
45	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण ललितपुर	1.00
46	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण लखनऊ	1.00
47	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण महराजगंज	1.00

48	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण महोबा	1.00
49	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मैनपुरी	1.00
50	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मथुरा	1.00
51	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मऊ	1.00
52	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मेरठ	1.00
53	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मीरजापुर	1.00
54	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मुरादाबाद	1.00
55	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मुजफ्फरनगर	1.00
56	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण पीलीभीत	1.00
57	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण प्रतापगढ़	1.00
58	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण रायबरेली	1.00
59	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कानपुर देहात	1.00
60	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण रामपुर	1.00
61	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण सहारनपुर	1.00
62	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण संतकबीरनगर	1.00
63	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण संतरविदास नगर	1.00
64	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण शाहजहॉपुर	1.00
65	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण श्रावस्ती	1.00
66	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण सिद्वार्थनगर	1.00
67	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण सीतापुर	1.00
68	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण सोनभद्र	1.00
69	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण सुलतानपुर	1.00
70	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण उन्नाव	1.00
71	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण वाराणसी	1.00
72	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण अमेठी	1.00
73	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण शामली	1.00
74	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण हापुड़	1.00
75	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण सम्भल	1.00
	योग	**75.00**
	(रूपये पचहत्तर लाख मात्र)	

(1) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 के नियम–209 तथा चैप्टर–1 के संलग्नक–ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)– आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(3) उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि का व्यय जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के व्ययों यथा Emergency Operation Centre (EOC) के सुचारू संचालन, प्राधिकरण के टेलीफोन, स्टेशनरी एवं अन्य उपयोगार्थ सामग्रियों आदि के व्ययों हेतु किया जायेगा।

(4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2– उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष **"2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–07–जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–20– सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या–817 (1)/एक–10–2021–33(79)/15 टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार–(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6– समस्त जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आंवटन (ई–बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
8 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

DDMA Budget//24